न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

1. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2615 सन 2026

CNR. No.UPSP01010064202026

1. अताउर्ररहमान पुत्र फिरोज।
2. मुजस्सम पुत्र असलम।
निवासीगण–ग्राम पापडी, थाना तीतरों, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

2. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2617 सन 2026

CNR. No.UPSP010064172026

1. संजीव पुत्र चुन्नीराम।
2. सन्दीप पुत्र चुन्नीराम।
निवासीगण–ग्राम आसफगढ, थाना तीतरो, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 71/2026
धारा 191(1),191(2),109(1),115(2),
351(3),352 बी.एन.एस
व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्टमेंट एक्ट 1932,
थाना तीतरो, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

16.06.2026

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या 71/2026 थाना तीतरो, जिला सहारनपुर से सम्बन्धित हैं, जिस कारण उक्त जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **अताउर्ररहमान, मुजस्सम, संजीव एवं सन्दीप** की ओर सेउपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण दिनांक 09.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्रो के साथ मती उल्ला पुत्र मौहम्मद हनीफ एवं प्रदीप कुमार पुत्र चन्नी राम के शपथपत्र दाखिल किए गए हैं, जिनके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी/उ0नि0 जोगेन्द्र सिंह द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 08.06.2026 को ग्राम पापडी में दो पक्षो में हो रहे झगडे की सूचना पर अपने निजी वाहन से मौके पर पहुंच कर देखा गया कि प्रथम पक्ष के रहमान, मुजस्सम, मसुल्ला, सुरेश, मुकेश, शेरदीन व अन्य अज्ञात एवं दूसरे पक्ष के संजीव, सन्दीप, सुग्गन, मनोज, पोपी व अन्य अज्ञात एक–दूसरे पर अपने–अपने हाथो में लिए लाठी–डंडो व लोहे के सरियो से जान से मारने की नीयत से वार कर एक–दूसरे पर निशाना साधकर ईंट पत्थर मार रहे थे, जिससे गांव में अफरा–तफरी व भय का माहौल पैदा हो गया, और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर–उधर भाग रहे थे तथा लोगो ने भय के कारण अपने–अपने घरों के दरवाजे बन्द कर लिए।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें मुकदमा उपरोक्त में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थीगण का तथाकथित घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण मुकदमों में थाने से जमानत पर है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध एक राय होकर एक–दूसरे के साथ गाली गलौच करते हुए, जान से मारने की नीयत से लाठी–डंडो व लोहे के सरियो से मारपीट कर एक–दूसरे पर पत्थराव करते हुए, भय व आतंक का माहौल उत्पन्न करने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अवलोकन से कथित घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट आने के सन्दर्भ में कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या केस डायरी पर उपलब्ध होना दर्शित नही है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 09.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्तगण **अताउर्ररहमान, मुजस्सम, संजीव एवं सन्दीप** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. उपरोक्त मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्तगण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
2. आवेदक/अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. आवेदक/अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

इस आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2617/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः–16.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891